



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रैरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2018-00142

श्रीमती शाहजहाँ बेगम, पति—अब्दुल शमशेर खान,  
पता—फारेस्ट कॉलोनी, कटघोरा,  
जिला—कोरबा (छ.ग.)

आवेदिका

### विरुद्ध

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
द्वारा—कार्यपालन अभियंता,  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
संभाग—बिलासपुर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक

### आदेश

(दिनांक—12/12/2018)


आवेदिका श्रीमती शाहजहाँ बेगम, पति—अब्दुल शमशेर खान, पता—फारेस्ट कॉलोनी, कटघोरा, जिला—कोरबा (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप-ड (FORM-M) में अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदिका ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा, अनावेदक के खमताराई, जिला—बिलासपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एम.आई.जी. क्रमांक—43 रुपये 16,73,000/- क्रय करने हेतु दिनांक 18.06.2015 को लीज डीड का निष्पादन किया गया था। आवेदिका का कथन है कि प्रश्नाधीन मकान में अनावेदक द्वारा प्रदत्त निर्माण की गुणवत्ता स्तरहीन है और अनावेदक ने पूर्व में किए गए वायदों के अनुरूप सुविधाएँ प्रदान नहीं की हैं। आवेदिका ने उसके द्वारा भुगतान की गई राशि पर समुचित ब्याज तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये।

3. प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा दिनांक 17.09.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन मकान में परिलक्षित संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए आवेदिका को इसका कब्जा प्रदान करने का कथन किया गया। न्यायहित में अनावेदक को समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 17.10.2018 को अनावेदक द्वारा पुनः प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन मकान में

परिलक्षित कमियों का समुचित सुधार कर दिए जाने का कथन किया गया तथा प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए गए।

4. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदिका के आवेदन, अनावेदक के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा, प्रश्नाधीन मकान में परिलक्षित समस्त संरचनात्मक कमियों को दूर कर आवेदिका की शिकायत का समुचित समाधान किया जा चुका है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। यदि भविष्य में प्रश्नाधीन मकान के संबंध में अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत पुनः कोई संरचनात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है, तो आवेदिका प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।



(नरेन्द्र कुमार असवाल)

~~सहायक~~


भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर



(राजीव कुमार टम्टा)

~~सहायक~~

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर



(विवेक ढाँड)

~~अध्यक्ष~~

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर

